प्र.क्र. निगरानी / 2015–16

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

1– सलीम खां पिता छोटे खां आयु 50 वर्ष
2– शाकीर उर्फ भययु पिता छोटेखां आयु 40 वर्ष
3– अफसर खां पिता सलीम खां आयु 24 वर्ष
जातिगण मुसलमान निवासीगण चेतनपुरा
जुना नागदा रोड नागदा तहसील नागदा
जिला उज्जैन म0प्र0

.......निगरानीकर्ता / अपीलार्थीगण

विरूद्व

इब्राहीम खां पिता गप्फारखां जाति मुसलामन
आयु 55 वर्ष निवासी किल्कीपुरा नागदा
तहसील नागदा जिला उज्जैन म0प्र0

..............प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता

(अधिनस्थ न्यायालय माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय नागदा जिला उज्जैन म0प्र0 (श्री के.के.रावत) द्वारा प्र.कं. 6 / अपील / 15–16 मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17 / 2 / 2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत निगरानी)

माननीय महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी आवेदन निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 758–तीन/2016 जिला उज्जैन

सलीम खां आदि विरूद्ध इब्राहीम खां

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–3–2016	आवेदकों द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी नागदा जिला उज्जैन के प्रकरण कमांक 6/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 17–2–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। निगरानी के साथ धारा 52 का आवेदन भी पेश किया गया। ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर उभय पक्षों के अभिभाषकों के तर्क सुने एवं प्रकरण का अवलोकन किया। 2/ आवेदकों अभिभाषक ने तर्क में बताया कि अनावेदक द्वारा स्वयं की भूमि सर्वे कमांक 507/3 मिन 10 एवं 11 का सीमांकन कराया जिसमें आवेदकों के शरहदी कास्तकार होने पर उसे सूचना नहीं दी गई थी जिसमें अनावेदक की भूमि पर आवेदकों का कब्जा पाया। सीमांकन के पश्चात भू–राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत बेदखली का आवेदन लगाया जिसमें आवेदकों को कोई सूचना न देकर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये। तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 04–12–15 को स्थगन दिया था, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 17–2–16 द्वारा आवेदकों को पूर्व में दिया गया स्थगन समाप्त कर प्रकरण अनावेदकों के साक्ष्य एवं तर्क के लिए नियत करने में त्रुटि की है। स्थगन के बिन्दु पर तर्क दिया कि आवेदकों की भूमिस्वामित्व की भूमि है जिसपर	

आवेदकों द्वारा बोई हुई फसल खड़ी है यदि स्थगन नहीं दिया गया तो आवेदकों को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः स्थगन प्रदान किया जाये।

3/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि आवेदकों को तहसील न्यायालय से सूचना पत्र जारी किया गया था जिसे उसके परिवार के सदस्यों ने लेने से इंकार किया है। इसके अतिरिक्त आवेदकों ने स्थाई निषेधाज्ञा एवं घोषणात्मक सहायता के लिए व्यवहार न्यायालय में वाद दायर किया था जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन निरस्त किया गया। अतः अब इस न्यायालय में स्थगन हेतु आवेदन स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रतिउत्तर में आवेदक अभिभाषक ने तर्क किया कि व्यवहार न्यायालय में आवेदक द्वारा घोषणात्मक सहायता तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद दायर किया था जिसमें आवेदक का केवल अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया है, अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण नहीं हुआ है। व्यवहार न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय उसके गुण–दोष पर नहीं होगा। इस न्यायालय में धारा 52 के अन्तर्गत स्थगन आवेदन उसकी मौके पर खड़ी फसल को हानि नहीं पहुंचाने के लिए दिया गया इसलिए व्यवहार न्यायालय में वाद की प्रकृति तथा इस न्यायालय में किये गये वाद की प्रकृति भिन्न है।

4/ उभय पक्ष अभिभाषकों के ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में संलग्न आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदकों के

विरूद्ध तहसील न्यायालय से दिनांक 19–10–15 को बेदखली का आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील लंबित है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकों को अपना पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है अतः इस न्यायालय में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत निगरानी के प्रचलन रहने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। जहां तक स्थगन का प्रश्न है मौके पर आवेदकों की फसल खड़ी है। खड़ी फसल का नुकशान न पहुंचे, इसलिए आवेदक अभिभाषक का तर्क स्वीकार करते हुये न्यायहित में आवेदकों को एक माह का स्थगन प्रदान किया जाता है। अतः तहसीलदार नागदा के आदेश दिनांक 19–10–15 का कियान्वयन एक माह के लिए स्थगित रखा जाता है। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को अपील प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है। आदेश की प्रति अनुविभागीय अधिकारी को भेजी जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य